न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी — आशीष गुप्ता, आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल सं.192 / अपील / 17 (GCMS No. 2017 / 00324)	09.10.2017	19.10.2020

1. इन्द्रा बाई बेवा सत्यप्रकाश जाति नाथ निवासी पापडी
2. दिपिका पुत्री सत्यप्रकाश जाति नाथ निवासी पापडी
3. कविता पुत्री सत्यप्रकाश जाति नाथ निवासी पापडी
   जर्ये नेसर्गिक संरक्षक माता श्रीमती इन्द्रा बाई नाथ निवासी पापडी
4. कोमल पुत्री सत्यप्रकाश जाति नाथ निवासी पापडी
   जर्ये नेसर्गिक संरक्षक माता श्रीमती इन्द्रा बाई नाथ निवासी पापडी
5. विवेक पुत्र सत्यप्रकाश जाति नाथ निवासी पापडी
   जर्ये नेसर्गिक संरक्षक माता श्रीमती इन्द्रा बाई नाथ निवासी पापडी

— अपीलान्टस

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

बनाम

1. बाबूलाल आ. मांगीनाथ जाति नाथ,
   निवासी ग्राम हनुतिया, तहसील दिगोद, जिला कोटा
2. रामेश्वर आ. मांगीनाथ जाति नाथ,
   निवासी ग्राम हनुतिया, तहसील दिगोद, जिला कोटा
3. सत्यनारायण आ. मांगीनाथ जाति नाथ,
   निवासी ग्राम हनुतिया, तहसील दिगोद, जिला कोटा
4. द्वारका बाई पुत्री मांगीनाथ जाति नाथ,
   निवासी ग्राम हनुतिया, तहसील दिगोद, जिला कोटा
5. सरकार जर्ये नायब तहसीलदार, लाखेरी
6. सरकार जर्ये तहसीलदार, इन्द्रगढ

— रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–

अपीलान्टस की ओर से श्री सुरेश कुमार वर्मा, एडवोकेट।
रेस्पो.सं. 1 लगायत 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
रेस्पो.सं. 5 व 6 की ओर से पेरोकार सरकार।

जिला कलक्टर; बून्दी

निर्णय

यह अपील नायब तहसीलदार, लाखेरी द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 411 दिनांक 14.07.2016 ग्राम पापडी से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम,1956 इस न्यायालय में पेश की गयी है। अपीलाधीन नामान्तरकरण खातेदार मांगीनाथ एवं भूरानाथ के फोत हो जाने पर उनके वारिसान् के पक्ष में तस्दीक किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर, अपील दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पोडेन्टस तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। बावजूद सूचना उपस्थित न्यायालय नहीं आने से दिनांक 31.12.18 को रेस्पो.सं. 1 लगायत 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस उभय पक्षकारान् सुनी गयी ।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि आराजी पुराने खसरा संख्या 580 रकबा 18 बीघा थे, जो रेस्पो.सं. 1 लगायत 4 के पिता मांगीनाथ आ. भैरूनाथ निवासी हनुत्या के नाम दर्ज थी। जिसके बंदोबस्त सन् 1995 से 2015 तक के दौरान नये खसरा नं. 1137 रकबा 1.30 हैक्टेयर, 1138 रकबा 0.66 हैक्टेयर, 1139 रकबा 0.10 हैक्टेयर, 1140 रकबा 0.77 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 2.77 हैक्टेयर वाके ग्राम पापडी में कायम किये गये। अपीलांट सं.1 के ससुर एवं अपीलांट सं. 2 लगायत 5 के दादा बद्रीनाथ के द्वारा उनके भाई केसरीनाथ व शम्भूनाथ के साथ मिलकर अपील विषयक आराजी बाबत रेस्पो.सं.1 लगायत 4 के पिता मांगीनाथ के विरूद्ध एक राजस्व वाद संख्या 239/1989 वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राज. टीनेन्सी एक्ट के तहत उनवान केसरीनाथ वगै. बनाम मांगीनाथ वगै. न्यायालय सहायक कलक्टर, के.पाटन द्वारा दिनांक 17.01.1996 को पारित करते हुये प्रतिवादी मांगीनाथ के विरूद्ध डिक्री करते हुये वादी केसरीनाथ व शम्भूनाथ को अपील विषयक आराजी का खातेदार कृषक घोषित कर दिया गया और स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया था। इस प्रकार न्यायालय सहायक कलक्टर, के.पाटन के निर्णय दिनांक 17.01.1996 के पश्चात् अपील विषयक आराजी में रेस्पो.सं. 1 लगायत 4 के पिता मांगीनाथ का कोई खातेदारी अधिकार विधिक रूप से शेष नहीं रहे और न ही कब्जा काश्त रहा है। इसके बावजूद मांगीनाथ को फोत होना बताकर रेस्पो.सं. 1 लगायत 4 द्वारा उक्तय निर्णय एवं डिक्री बाबत तथ्यों को छिपाकर अपने पक्ष में फोती नामान्तरकरण खुलवा लिया गया, जबकि रेस्पो.सं. 5 व 6 भूमिधारी को उक्त

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर; बून्दी

निर्णय एवं डिक्री की जानकारी होने पर एवं भूमि पर अपीलांटस का कब्जा काश्त होने पर भी न्यायिक प्रकिया का दुरूपयोग करते हुये उक्त नामान्तरकरण तस्दीक किया गया, जो विधिक विरूद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है। नायब तहसीलदार लाखेरी द्वारा उक्त नामान्तरकरण तस्दीक करते समय अपीलांटस को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया जाना, नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से भी नामान्तरकरण विधि विरूद्ध है। अपील विषयक आराजी के खाते की नकल लेने अपीलांटस पटवारी हल्का पापडी के पास दिनांक 06.09.2017 को गये, तो पटवारी हल्का ने अपीलांटस को मांगीनाथ के स्थान पर रेस्पो.सं. 1 लगायत 4 का नाम नामान्तरकरण तस्दीक हो जाना बताया गया, तब दिनांक 09.6.2017 को नकल प्राप्त होने पर अपीलांटस को अपीलाधीन नामान्तरकरण के संबंध में जानकारी हुई। विलम्ब क्षमा किये जाने के लिये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया गया है। अभिभाषक अपीलांटस द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरटी (2) पेज 1321 की नजीर पेश करते हुये अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर ध्यानपूर्वक मनन किया। अपील का परीक्षण सर्वप्रथम मियाद बिन्दु पर किये जाने पर प्रकट है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण दिनांक 14.07.2016 को तस्दीक किया गया है जिसकी अपीलांट द्वारा अपील दिनांक 25.09.2017 को पेश की गई है। अपीलांट द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी दिनांक 06.09.2017 को हो जाना अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है। लिमिटेशन के संबंध में कई न्यायिक विनिश्चयों में यह माना है कि जानकारी की तिथि से ही अवधि की गणना की जानी चाहिऐ तथा केवल लिमिटेशन के तकनीकी बिन्दू पर ही अपील को निर्णित नहीं किया जाना चाहिए। लिमिटेशन के संबंध में RRD 1998 पेज 319 में प्रतिपादित मत की रोशनी में न्यायहित में हम हस्तगत अपील का निर्णय मैरिट पर करना उचित समझते है। अतः हस्तगत अपील को अवधि मध्य मानते हुये अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जाता है।

अपील का परीक्षण गुणावगुणों पर किये जाने पर प्रकट है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण विषयक आराजी के खातेदार नामान्तरकरण के कॉलम संख्या 7 के अनुसार मांगीनाथ पुत्र भैरूनाथ कौम नाथ सा. हनुतिया एवं भूरानाथ पुत्र नाथूलाल सा. डडवाडा थे। अपीलाधीन नामान्तरकरण के कॉलम संख्या 14 के अनुसार खातेदार मांगीनाथ एवं भूरानाथ के फोत हो जाने पर उनके वारिसान के पक्ष में फौती नामान्तरकरण तस्दीक किया गया।

जिला कलेक्टर; बू

इस पर अपीलांटस को आपत्ति है कि वादग्रस्त आराजी के संबंध में पूर्व में न्यायालय सहायक कलक्टर, के.पाटन द्वारा निर्णय एवं डिक्री से खातेदार मांगीनाथ एवं भूरानाथ का नाम विलोपित किये जाने के आदेश पारित किये हुये है, इसके बावजूद उक्त आदेश की पालना नहीं की जाकर फोती नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया गया, जो विधिविरूद्ध है। अपीलांटस द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध न्यायालय सहायक कलक्टर, के.पाटन के वाद संख्या 232/89 बउनवान मृतक केसरीनाथ आ. कंवरनाथ जाति नाथ निवासी पापडी जर्ये कायम मुकाम ओमप्रकाश, श्यामलाल, राजुलाल वगै. बनाम मांगीनाथ वगै. निर्णय दिनांक 17.01.1996 शुद्ध प्रतिलिपि के अवलोकन से वादग्रस्त आराजी के संबंध में उक्त न्यायालय में वाद वादीगण के पक्ष में निर्णित किया जाकर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किये जाने एवं प्रतिवादी मांगीनाथ व भूरानाथ का नाम राजस्व रेकार्ड से विलोपित किये जाने के आदेश जारी होना प्रकट है। किन्तु उक्त निर्णय की पालना में राजस्व रेकार्ड में अंकन नहीं किये जाने के विरूद्ध वादीगण केसरीनाथ एवं शम्भूनाथ तथा अपीलांटस के दादा बद्रीनाथ या पिता सत्यप्रकाश की ओर से कोई कार्यवाही किये जाने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। इस अपीलाधीन नामान्तकरण को समस्त वादीगण द्वारा चैलेन्ज नहीं किया गया। अपीलांटस द्वारा अपनी अपील में अपीलाधीन फोती नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने में अधीनस्थ न्यायालय से किस प्रकार से कानूनी त्रुटि हुई है, इसका अंकन नहीं किया है। वैसे भी नामान्तरण एक संक्षिप्त प्रक्रिया है जिससे किसी के हितों, हक–अधिकारों का निर्धारण नहीं होता है, यह मात्र भूमि के लगान वसूली की प्रक्रिया है। अपीलान्टस के हितों का निर्धारण नियमित राजस्व वाद के माध्यम से ही हो सकेगा ।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि खातेदारान् के फोत हो जाने पर उनके वारिसान के पक्ष में विरासत नामान्तरकरण खोले जाने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई कानूनी त्रुटि की हो, ऐसा प्रमाणित करने में अपीलांटस असफल रहे है। अपीलाधीन नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने में प्रथमदृष्टया कोई विधिक दोष प्रकट नहीं होता है। परिणामस्वरूप अपील अपीलांटस खारिज की जाती है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावें।

आदेश आज दिनांक 19.10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशीष गुप्ता)
जिला कलक्टर, बून्दी
जिला कलक्टर, बून्दी